राजस्थान सरकार

स्वायत्त स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर

कमांक – भूमि/एफ.7(ड)/(498)/डीएलबी/07/ 3391 दिनांकः– 28/3/11

अधिसूचना

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल व स्थानीय निकायो की तरफ बकाया लीज राशि के ब्याज में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 एवं राजस्थान नगर पालिका(नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :–

1. यदि बकाया राशि ही जमा करवाई जाती है तो देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. यदि वर्तमान बकाया राशि के साथ–साथ आगामी समस्त वर्षो की देय लीज राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

इस हेतु दिनांक 30–04–2011 तक आवेदन करना होगा तथा 30 जून 2011 तक लीज राशि को जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

यह अधिसूचना वित्त (राजस्व) विभाग की आई. डी. संख्या 101100573 दिनांक 18–03–2011 से प्राप्त सहमति के कम मे जारी की जाती है।

आज्ञा से

ह०

शासन उप सचिव

कमांक – भूमि/एफ.7(ड)/(498)/डीएलबी/07/ 3392-3663 दिनांकः– 28/3/11

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय नगरीय विकास एव स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
2. प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर राजस्थान।
7. निदेशक, लेखक एवं मुद्रण विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी विशेषांक में प्रकाशनार्थ.।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर,/जोधपुर ।
10. सचिव समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान ।
11. समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
12. समस्त मुख्यकार्यवारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, राज0
13. लेखाधिकारी (ईगवरनेस) निदेशालय को विभागीय वेबसाइट हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
15. सुरक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव